

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: प.2( )लेखा/ICDS/अं.क./म.बा.वि/18-19 174604-636

जयपुर, दिनांक  
28-9-18

उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
(समस्त)

विषय— माह जुलाई व अगस्त, 18 तक का मासिक व्यय विवरण समय पर प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में।


प्रसंग:— निदेशालय का पत्रांक 73294-630/1.5.18 एवं 125672-704/6.7.18 एवं  
152080-112/27.08.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों से प्राप्त मासिक व्यय विवरण को संकलित कर आगामी माह की 5 तारीख तक संबंधित लेखाकर्मी/मासिक व्यय विवरण तैयार करने वाले कार्मिक के साथ निदेशालय को व्यक्तिशः प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है परन्तु इसके उपरान्त भी आज दिनांक तक अजमेर, अलवर, बांसवाडा, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, झालावाड, झुंझुनु, जोधपुर, कोटा, नागौर, सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर का ही प्राप्त हुआ है एवं जुलाई, 18 का मासिक व्यय विवरण भी अजमेर, अलवर, बांसवाडा, भरतपुर, बाडमेंर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनु, जोधपुर, कोटा, नागौर, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, सिरोंही, टोंक, उदयपुर का ही प्राप्त हुआ है, इसके अतिरिक्त अन्य उपनिदेशक कार्यालयों से प्राप्त नहीं है।

शेष रहे उपनिदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि माह जुलाई व अगस्त, 18 तक का मासिक व्यय विवरण एवं भुगतान स्थिति का विवरण लेखाकर्मी/मासिक व्यय तैयार करने वाले कार्मिक के साथ आवश्यक रूप से भिजवायें। इसके अभाव में महालेखाकार कार्यालय से लेखों का अंकमिलान सम्भव नहीं हो रहा है।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिस अनुपात (मैचिंग शेयर) में बजट आवंटन किया गया है, व्यय भी उस अनुपात में किया जाकर, व्यय विवरण में अंकित किया जावे। यदि व्यय सही अनुपात में नहीं किया गया है तो उस लेखाशीर्ष में निर्धारित अनुपात के अनुसार स्थानान्तरण प्रविष्टि प्रस्तुत की जावे जिससे यथाशीघ्र महालेखाकार कार्यालय से अंक मिलान कर समायोजन कराया जा सके।

साथ ही भविष्य में मासिक व्यय विवरण आगामी माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से भिजवायें अन्यथा की स्थिति में आपकी एवं संबंधित लेखा कार्मिक/लेखा कार्य करने वाले कार्मिक की जिम्मेदारी होगी।

  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक: प.2( )लेखा/ICDS/अं.क./म.बा.वि/18-19 174637-941

जयपुर, दिनांक  
28-9-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

2. बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त)

  
वित्तीय सलाहकार